



**Gram Panchayat Resolution for declaring the 'Har Ghar Jal'
Resolution No.**

Date:

Ref: Certificate of RWS/ PHED Department(Annex)

Subject: Declaration of Har Ghar Jal village

(to provide tap connection to all household in village to supply minimum 55 lpcd, safe water daily)

District:

Block:.....

GP :

Village:

1. Number of Households (as on date) :
2. Households with tap water supply :
3. Tap connection in Institutions:
 - i.) GP Buildings :
 - ii.) Health Centre :
 - iii.) Schools :
 - iv.) Anganwadi's :
 - v.) Ashramshala :
 - vi.) Cattle trough :
 - vii.) Community washing and bathing complex:
 - viii.) Community Toilet :
4. Details of community contribution and bank account details:
 - i.) in cash (Rs.) :
 - ii.) in kind (value in Rs.) :
 - iii.) through labour (value in Rs.) :
 - iv.) Other (please specify) :
 - v.) Details of bank account :
5. In order to ensure the quality of water supply the FTK training has been provided to following persons for regular monitoring: (Name and present contact number)
 - i.)
 - ii.)
 - iii.)
 - iv.)
 - v.)
6. In order to operate and maintain the scheme the following persons are identified;(Name, designation and present contact number)
 - i.)
 - ii.)

7. In order to restore any major disruption, the PWS/ PHED department will provide technical assistance. The personnel from PWS/ PHED are as under;

(Name, designation and present contact number)

i.)

ii.)

8. In case, repair and maintenance is needed following skilled persons have been identified who will help to restore the system; (Name, designation and present contact number)

i.)

ii.)

iii.)

iv.)

The Gram Panchayat/ VWSC/ Pani Samiti resolves that the tap connection provided and human resource for management of water supply in the village is as per details mentioned above. The Gram Panchayat also resolves to:

- i.) collect samples from all the sources/ MVS Delivery point of the village that are used to supply water through taps and send to the labs for testing at least once a quarter;
- ii.) share the data of FTK test on JJM-WQMIS portal.
- iii.) to facilitate the department to install sensors for monitoring the flow, quality and pressure of water supply and to ensure the proper upkeep of these assets;
- iv.) collect water user charges of Rs. xxx / month to sustain operation & maintenance.

Panchayat Secretary

Sarpanch/ Chairman of

VWSC/ Pani Samiti

(Name with seal)

(Name with seal)

GP/Village

GP/Village.....

Block.....

Block.....

District.....

District.....

'हर घर जल' घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत का ठराव/ संकल्प
संकल्प/ ठराव संख्या: दिनांक:

संदर्भ: आर. डब्ल्यू. एस./पी. एच. ई. विभाग का प्रमाण पत्र (संलग्नक)

विषय: 'हर घर जल' गांव की घोषणा - गाँव के सभी घरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, न्यूनतम 55 लीटर, स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन के बारे में।

जिला:

ब्लॉक:

ग्राम पंचायत :

गांव:

1. घरों की कुल संख्या:
2. नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या :
3. संस्थानों में नल कनेक्शन का विवरण :
 - i.) ग्राम पंचायत भवन :
 - ii.) स्वास्थ्य केंद्र:
 - iii.) स्कूल:
 - iv.) आंगनवाड़ी:
 - v.) आश्रमशाला :
 - vi.) मवेशी प्याऊ :
 - vii.) सामुदायिक स्नान घाट :
 - viii.) सामुदायिक शौचालय :
4. सामुदायिक योगदान और बैंक खाते का विवरण:
 - i.) नकद
 - ii.) साधन सामग्री :
 - iii.) श्रमदान :
 - iv.) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):
 - v.) बैंक खाते का विवरण:

5. पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एफ. टी. के. (फील्ड टेस्टिंग किट) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है (नाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.)
- ii.)
- iii.)
- iv.)
- v.)

6. योजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान की गई है (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.)
- ii.)

7. तकनीकी सहायता के लिए आर. डब्ल्यू. एस./ पी.एच. ई. विभाग के कार्मिक निम्नानुसार हैं
(नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.)
- ii.)

8. गाँव के इलेक्ट्रिशियन, पाइप मिस्त्री, राजगीर, आदि कुशल कारीगर, जो सिस्टम को बहाल करने में मदद करेंगे, निम्नानुसार हैं (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.)
- ii.)

ग्राम पंचायत/वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, संकल्प/ ठराव करती है कि गांव में जलापूर्ति के लिए प्रदान किए गए नल कनेक्शन और प्रबंधन के लिए मानव संसाधन ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार है। ग्राम पंचायत निम्नानुसार संकल्प लेती है कि :

- i.) तिमाही में कम से कम एक बार पानी का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा;
- ii.) एफ.टी.के. से परीक्षण करके परिणाम JJM-WQMIS पोर्टल पर साझा किया जाएगा;
- iii.) सेन्सर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेंसर स्थापित करने के लिए मदद और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा;
- iv.) संचालन और रखरखाव के लिए प्रति घर/-रूपए का जल उपयोग शुल्क पानी समिति के बैंक खाते में लिया जाएगा।

पंचायत सचिव

सरपंच/ अध्यक्ष/ अध्यक्षा

वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति

(नाम मुहर सहित)

(नाम मुहर सहित)

ग्राम पंचायत/ गांव

ग्राम पंचायत/ गांव

खंड.....

खंड.....

जिला

जिला
